

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
55 / 2025

दायर दिनांक
04.03.2025

निर्णय दिनांक
20.03.2025

1. पवन कुमार शर्मा आत्मज श्री बालु लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बडलियास तहसील कोटडी वर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. राजेन्द्र कुमार शर्मा आत्मज श्री बालु लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बडलियास तहसील कोटडी वर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)।

— प्रार्थीगण

बनाम


1. श्री किशन पाराशर आत्मज श्री मदन लाल पाराशर निवासी उम्र वयस्क निवासी बडलियास तहसील कोटडी वर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती माया देवी पत्नी श्री राजकुमार सेन जाति नाई निवासी उम्र वयस्क निवासी बडलियास तहसील कोटडी वर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कोटडी जिला भीलवाड़ा (राज) जरिये नायब तहसीलदार, बडलियास जिला भीलवाड़ा (राज)।

विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी गोपाल सालवी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगाकर 02 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बडलियास पटवार हल्का बडलियास भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बडलियास तहसील कोटडी हाल तहसील सवाईपुर जिला-भीलवाड़ा में स्थित है जिसका विवरण दर्ज आराजी खसरा -650/1 रकबा 0.0756 है0, खसरा संख्या-652/1 रकबा 0.2161 है0, खसरा संख्या -652/2 रकबा 0.2485 है0, कुल किता 3 रकबा 0.54402 भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और प्रतिवादी गैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार कोटडी/नायब तहसीलदार बडलियास को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम बडलियास पटवार हल्का बडलियास भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बडलियास तहसील कोटडी हाल तहसील सवाईपुर जिला-भीलवाड़ा में स्थित है जिसका विवरण दर्ज आराजी खसरा -650/1 रकबा 0.0756 है०, खसरा संख्या-652/1 रकबा 0.2161 है०, खसरा संख्या -652/2 रकबा 0.2485 है०, कुल किता 3 रकबा 0.54402 भूमि स्थित है। भूमि कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कोटडी/नायब तहसीलदार बडलियास को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। नायब तहसीलदार बडलियास को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दिल्लाल सिंह (चण्डावत))
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा